समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

Phone no-06183-222336(0)
Fax no- 06183-226935(0)
E-mail- dm-buxar.bih@nic.in

आदेश

श्री हरिशंकर सिंह, चौकीदार के द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन नियमावली– 2014 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वैच्छिक सेवानिवृति के तहत अपने पुत्र श्री सोनू सिंह को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु जिला पदाधिकारी को संबोधित अनुरोध पत्र दिनांक–01.06.2015 को दाखिल किया गया है। श्री सिंह, चौकीदार द्वारा पुनः अंचलाधिकारी, राजपुर के माध्यम से दिनांक– 15. 09.2015 को आवेदन प्राप्त कराया गया, जिसमे उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति की इच्छित तिथि 30.10. 2015 अंकित है। श्री सिंह के सेवापुस्त के आधार पर उनकी जन्मतिथि 13.11.1955 एवं नियुक्ति की तिथि 01.01.1990 है। तद्नुसार इनके आवेदन दाखिला की तिथि 01.06.2015 को इनकी सेवा अवधि 25 वर्ष, 05, माह एवं उम्र 59 वर्ष, 06 माह, 18 दिन है। इनके पुत्र श्री सोनू सिंह की जन्मतिथि 06.01.1993 तथा शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है।

बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक– 05.03.2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 गठित की गयी है। इसके कंडिका– 03 मे चौकीदार संवर्ग नियमावली– 2006 के नियम– 05 (7) के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़े गये है :–

(क) चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी प्रावधान उन पर लागू रहेगा।

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृति अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा।

इसके अतिरिक्त यथावर्णित संशोधन नियमावली की कंडिका– 02 के द्वारा चौकीदार संवर्ग नियमावली– 2006 की कंडिका– 02 (5) के बाद कंडिका– 06 एवं 07 जोड़ी गयी है, जो निम्न प्रकार है :–

(6) स्वैच्छिक सेवानिवृति के पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत है, वैसे चौकीदार/दफादार जिनकी अर्हक सेवा 20 वर्षो की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो।

(7) आश्रित से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्रबधु, जिसने पुर्नविवाह न की हो।

स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त चौकीदार श्री हरिशंकर सिंह के आश्रित पुत्र का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, श्री सिंह, चौकीदार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं चलने से संबंधित प्रतिवेदन आदि कागजात अंचलाधिकारी, राजपुर से प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले को विचारार्थ दिनांक– 20.07.2018 को आयोजित चौकीदार स्थापना समिति की बैठक में रखा गया।

प्राप्त कागजातों एवं गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक– 1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0 1896/पटना, दिनांक– 05.03.2014 से गठित बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 में निहित प्रावधान के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से श्री हरिशंकर सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत चौकीदार के पुत्र श्री सोनू सिंह का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववृत

सत्यापन के पश्चात चौकीदार के पद पर वेतनमान– पी0बी0– 01, 5200–20200, ग्रेड–पे0 1800 में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

स्वैच्छिक सेवानिवृत प्राप्त चौकीदार श्री हरिशंकर सिंह के नामित पुत्र श्री सोनू सिंह का शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपसचिव (निगरानी), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक– नि0 / 2474, दिनांक– 13.09.2018 एवं पुलिस अधीक्षक, बक्सर के ज्ञापांक– 1262, दिनांक– 20.10.2018 द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः दिनांक– 20.07.2018 को चौकीदार स्थापना समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सोनू सिंह, पिता– श्री हरिशंकर सिंह, ग्राम– सुजातपुर, पोस्ट–सुजातपुर, थाना– धनसोई, अंचल– राजपुर, जिला– बक्सर को अंचल– राजपुर मे चौकीदार के पद पर वेतनमान– पी0बी0– 01, 5200–20200, ग्रेड–पे0 1800 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तो के साथ नियुक्त किया जाता है :–

1. बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली– 2014 की कंडिका– 'ग' में निहित प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
2. यह नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की गयी है। परिवीक्षा की अवधि 02 वर्ष की होगी। परिवीक्षा की अवधि में इनकी सेवा 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
5. विवाह में तिलक–दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
7. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।

नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर यदि योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक................................ / सा0, दिनांक............. / .... / 2019

प्रतिलिपिः– श्री सोनू सिंह, पिता– श्री हरिशंकर सिंह, ग्राम– सुजातपुर, पोस्ट–सुजातपुर, थाना– धनसोई, अंचल– राजपुर, जिला– बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अंचल, राजपुर में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-0204 / सा0, दिनांक 11 / 02 / 2019

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर / अंचलाधिकारी, राजपुर / वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / आई0टी0 मैनेजर, बक्सर / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / थानाध्यक्ष, धनसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-0204 /सा0, दिनांक 11 / 02 / 2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

08/02/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।